न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 279/2022

अनवान : –

1. शंकरलाल पुत्र गणपत जाति सांसी थिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. जयलाल पुत्र गणपत जाति सांसी साकिन थिराना तहसील नोहर।
2. ग्यारसी पुत्री गणपत जाति सांसी साकिन थिराना तहसील नोहर।
3. तुलसी पुत्री गणपत जाति सांसी साकिन थिराना तहसील नोहर।
4. तीजा देवी पत्नी गणपत जाति सांसी साकिन थिराना तहसील नोहर।
5. द्रोपती पुत्री गणपत जाति सांसी साकिन थिराना तहसील नोहर।
6. भागो देवी पुत्री गणपत जाति सांसी साकिन थिराना तहसील नोहर।
7. रूकी पुत्री गणपत जाति सांसी साकिन थिराना तहसील नोहर।
8. रामी पुत्री पुत्री गणपत जाति सांसी साकिन थिराना तहसील नोहर।
9. सुखी पुत्री पुत्री गणपत जाति सांसी साकिन थिराना तहसील नोहर।
10. सीता देवी पुत्री गणपत जाति सांसी साकिन थिराना तहसील नोहर।
11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

12. कशमीराराम पुत्र गणपतराम जाति सांसी साकिन थिराना तहसील नोहर।
13. प्रभुराम पुत्र गणपतराम जाति सांसी साकिन थिराना तहसील नोहर।
14. सुमेर पुत्र गणपतराम जाति सांसी साकिन थिराना तहसील नोहर।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 27/9/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 62/44 की कुल 6.2600 हैक्ट भूमि के वादी के पिता गणपतराम खातेदार काश्तकार थे।

वादी के पिता गणपतराम फौत हो चुके है तथा वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10, 12 ता 14 के नाम विरासतन दर्ज हो चकी है तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 व 12 ता 14 प्रत्येक 1/14 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 जो कि वादी एवं प्रतिवादी स0 1 तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 की बहिन एवं माता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 अपने परिवार से [illegible] स्नेह रखती इसलिए उक्त वाद भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है वादी [illegible] तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वादी एवं प्रतिवादी [illegible] 1 व तरतीबी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:58:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 वाद भूमि पर काबिज है तथा प्रतिवादीगण 2 ता 10 का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 10 व 12 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि थी जो की वादी के पिता के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद उक्त वाद भूमि विरासतन दर्ज हुई। प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 जो कि वादी एवं प्रतिवादी स0 1, तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 की बहिन एवं माता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 अपने परिवार से अत्यधिक स्नेह रखती इसलिए उक्त वाद भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण [illegible] अनुसार रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 62/44 की [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 व 12 ता 14 प्रत्येक 1/14 हि[illegible]कार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वादी के पिता के देहान्त के बाद उ[illegible] वाद भूमि विरासतन दर्ज हो चुकी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:58:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 जो कि वादी एवं प्रतिवादी स0 1, तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 की बहिन एवं माता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 अपने परिवार से अत्यधिक स्नेह रखती इसलिए उक्त वाद भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 व 12 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा गणपत के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जरिये अधिवक्ता ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 व 12 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 62/44 की कुल 6.2600 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 14 प्रत्येक को 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जात है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21/9/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:58:19 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 279/2022

अनवान : –

1. शंकरलाल पुत्र गणपत जाति सांसी थिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. जयलाल पुत्र गणपत जाति सांसी साकिन थिराना तहसील नोहर।
2. ग्यारसी पुत्री गणपत जाति सांसी साकिन थिराना तहसील नोहर।
3. तुलसी पुत्री गणपत जाति सांसी साकिन थिराना तहसील नोहर।
4. तीजा देवी पत्नी गणपत जाति सांसी साकिन थिराना तहसील नोहर।
5. द्रोपती पुत्री गणपत जाति सांसी साकिन थिराना तहसील नोहर।
6. भागो देवी पुत्री गणपत जाति सांसी साकिन थिराना तहसील नोहर।
7. रूकी पुत्री गणपत जाति सांसी साकिन थिराना तहसील नोहर।
8. रामी पुत्री पुत्री गणपत जाति सांसी साकिन थिराना तहसील नोहर।
9. सुखी पुत्री पुत्री गणपत जाति सांसी साकिन थिराना तहसील नोहर।
10. सीता देवी पुत्री गणपत जाति सांसी साकिन थिराना तहसील नोहर।
11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

12. कशमीराराम पुत्र गणपतराम जाति सांसी साकिन थिराना तहसील नोहर।
13. प्रभुराम पुत्र गणपतराम जाति सांसी साकिन थिराना तहसील नोहर।
14. सुमेर पुत्र गणपतराम जाति सांसी साकिन थिराना तहसील नोहर।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 279 सन 2022 निर्णय दिनांक 27.09.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 62/44 की कुल 6.2600 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 14 प्रत्येक को 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.9.23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:58:19 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर